क्रम-संख्या 11

संख्या 1625/इक्कीस-3 (13)-67

प्रेषक,

श्री बसन्त कुमार गोस्वामी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष, डिवीजनों के आयुक्त,
जिला मजिस्ट्रेट, जिला एवं सेशन जज तथा
अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, 11 जुलाई, 1968 ।

विषय--राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार करने की भाषा ।

महोदय,

विभाग

मुझे आपका ध्यान शासकीय परिपत्र संख्या 1029/इक्कीस-3 (14)-67, दिनांक 16 जून, 1967 की ओर आकर्षित करने का निदेश हुआ । जैसा उसमें बताया गया था संविधान के अनुच्छेद 346 के परन्तुक (प्राविजों) के अधीन राज्य सरकार, बिहार राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सरकारों तथा हिमाचल प्रदेश और दिल्ली प्रशासनों से हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने का करारनामा दिनांक 26 जनवरी, 1965 से पूरा ही कर चुकी थी, अतः उनके साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने में उक्त दिनांक से पूर्व भी कोई बाधा नहीं थी ।

2--उक्त परिपत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 243 के खण्ड (1) के अधीन 26 जनवरी, 1965 से केन्द्र की राजभाषा हिन्दी हो गई है अतः अनुच्छेद 346 के अधीन राज्य सरकारें बिना-किसी औपचारिक करारनामें के केन्द्र से अथवा अन्य राज्य सरकार के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार कर सकती है ।

3--इस संबंध में मुझे यह कहना है कि केन्द्र द्वारा राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 बनाय जाने के कारण ऊपर पैरा 2 में उल्लिखित व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो गया है । इस अधिनियम की धारा 3 के परन्तुकों (प्राविजों) में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:--

*"परन्तु अंग्रजी भाषा का संचार क प्रयोजनों के लिय प्रयोग संघ और किसी ऐसे राज्य के बीच जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है" किया जायगा :"

**"परन्तु यह और भी कि जहां कि किसी एसे राज्य के जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा क रूप में अपनाया है और अन्य राज्य के जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया बीच संचार क प्रयोजनों क लिये हिन्दी का प्रयोग किया जाता है, वहां हिन्दी में ऐसे संचार के साथ-साथ उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जायगा :"

---

*Provided that the English language shall be used for purposes of communication between the Union and a State which has not adopted Hindi as its official language.

**Provided further that where Hindi is used for purposes of communication between one State which had adopted Hindi as its official language and another State which has not adopted Hindi as its official language, such communication in Hindi shall be accompanied by a translation of the same in the English language.

***"परन्तु यह भी कि इस उपधारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह किसी ऐसे राज्य को, जिसने अपनी राजभाषा के रूप में हिन्दी को नहीं अपनाया है संघ के साथ, या किसी ऐसे राज्य के साथ जिसने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाया है या किसी अन्य राज्य के साथ करार द्वारा हिन्दी का संचार के प्रयोजन के लिये प्रयोग करने से निवारित करती है और ऐसे किसी मामले में उस राज्य के साथ अंग्रेजी भाषा का संचार के प्रयोजनों के लिये प्रयोग करना वाध्यतामूलक न होगा।"

4--अतएव केन्द्र से तथा जिन राज्य सरकारों के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने का (पैरा 1 में उक्त) करारनामा हो चुका है, उनके साथ पूर्ववत हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार किया जाय, किन्तु, राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 के उपर्युक्त उपबन्धों के अनुसार अहिन्दी भाषी ऐसे राज्यों के साथ, जिनसे उत्तर प्रदेश का हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने का करारनामा नहीं हुआ है, पत्र व्यवहार करते समय हिन्दी पत्रों के साथ उनका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाय।

5--हाल में पंजाब सरकार ने यह सूचना दी है कि उसने 13 अप्रैल 1968 से भारत सरकार तथा हिन्दी भाषी राज्यों से हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने का निर्णय किया है। अतएव मुझे यह भी अनुरोध करना है कि ऊपर पैरा-1 में उल्लिखित राज्य सरकारों तथा प्रशासनों के साथ-साथ पंजाब सरकार से भी हिन्दी में पत्र व्यवहार किया जाय।

भवदीय,
वसंत कुमार गोस्वामी,
उप सचिव।

संख्या 1625 (1)/इक्कीस-3 (13)-67, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित :--

(1) राज्यपाल के सचिव,

(2) सचिवालय के समस्त अधिकारी तथा

(3) सचिवालय के समस्त विभाग।

संख्या 1625 (2)/इक्कीस--3 (13)-67, तद्दिनांक

प्रतिलिपि, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भी सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
वसंत कुमार गोस्वामी,
उप सचिव।

***Provided also that nothing in this sub-section shall be construed preventing a State which has not adopted Hindi as its official language from using Hindi for purposes of communication with the union or with a State which had adopted Hindi as its official language, or by agreement which any other State, and such a case it shall not be obligatory to use the English language for purposes of communication with that State.